**भारत सरकार** **लोक सभा**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं. 5159**

**वाणिज्य विभाग**

**दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए**

स्पाइस पार्क

5159. श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरमः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य में स्थापित वर्तमान स्पाइस पार्क का स्थान–वार ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी प्रयोजन क्या है;

(ख) क्या इन स्पाइस पार्कों से प्रसंस्करण हेतु स्थानीय किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों को सुविधाएं प्रदान की गई हो; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पार्कों से कौन–से रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं ।

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (ग) मसाला बोर्ड ने तमिलनाडु सरकार द्वारा आबंटित 29.43 हेक्टेयर (72.69 एकड़) भूक्षेत्र में तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कोट्टाकुड़ी गॉव में एक मसाला पार्क स्थापित किया है। इस मसाला पार्क का उद्देश्य मसालों मुख्य रूप से मिर्च और हल्दी की सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, भंडारण, पैकिंग आदि के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करना है, ताकि मसालों की गुणवत्ता और तदद्वारा किसानों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित की जा सके। यह मसाला पार्क प्रोसेसर और निर्यातकों के साथ सीधा संबंध स्थापित करके आपूर्ति श्रृंखला को छोटा करने में उपजकर्ताओं की मदद करेगा। इससे तमिलनाडु राज्य से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। बुनियादी ढ़ांचे में निम्नलिखित शामिल है:

- मिर्च के लिए एक पूर्ण प्रसंस्करण प्रक्रिया की सुविधा जिसमें सफाई के लिए 1 टन/ घंटा और पीसने के लिए 0.5 टन प्रति घंटे की क्षमता है।
- हल्दी के लिए एक पूर्ण प्रसंस्करण प्रक्रिया की सुविधा जिसमें सफाई के लिए 1 टन/घंटा और पीसने के लिए 0.5 टन प्रति घंटे की क्षमता है।
- 250 किलोग्राम/घंटा की क्षमता के साथ बैच प्रक्रिया में स्टीम विसंक्रमण इकाई।
- मिर्च के लिए 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम।
- हल्दी के लिए 700 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम तथा
- धर्मकाँटा (80 टन)

बोर्ड ने अपनी स्वयं की प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इकाइयों को स्थापित करने के लिए 30 वर्ष के पट्टे पर 21 निर्यातकों को 25.57 एकड़ के 26 भूखंड आबंटित किए हैं। पार्क के निर्यातक समीप क्षेत्रों के किसानों से सीधे मसाले मंगवाएंगे। तमिलनाडु सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय की मंजूरी मिलने में देरी के कारण मसाला पार्क का संचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब बोर्ड को पार्क लेआउट के लिए खंड विकास अधिकारी, शिवगंगा से 19/07/2019 को मंजूरी प्राप्त हुई है।

मसाला बोर्ड द्वारा स्थापित सभी मसाला पार्कों को केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य पार्कों के रूप में नामित किया है ताकि इन स्पाइस पार्कों में मसाला प्रसंस्करण यूनिटे सृजित करने/उनका विस्तार करने के लिए उद्यमियों/ निर्यातकों को नाबार्ड से किफायती ऋण एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हो सके। निर्यातक, जिन्हें भूखंड आबंटित किए गए हैं, स्थानीय पंजीकरण विभाग में मसाला बोर्ड के साथ निष्पादित पट्टा विलेख के पंजीकरण के बाद उन्हें आबंटित किए गए भूखंडों पर प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण शुरू कर देंगे और आबंटित भूखंडों में प्रस्तावित भवनों/ प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त करेंगे। एक बार पार्क पूरी तरह से चालू हो जाने पर, यह अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष रूप से 115000 से 118000 मानव दिवस और अप्रत्यक्ष रूप से 50000 मानव दिवस के रोजगार उत्पन्न होंगे।

**********